झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

कार्यालय आदेश

संख्या :– 4/वरीयता–1501/2024 का॰ ....128..../ राँची, दिनांक–...28/11/24....

WP(S) No.- 5194/2019 संजय कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार से सम्बन्धित SLP (Dairy) No.- 21130/2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के दिनांक 10.07.2024 को पारित न्यायादेश द्वारा राज्य सरकार के अपील को खारिज करते हुए माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा LPA No.-327/2022 में दिनांक 02.03.2023 को पारित न्यायादेश एवं W.P.(S) No.- 5194/2019 में दिनांक 08.12.2020 को पारित न्यायादेश को यथावत् रखा गया है।

2. उपर्युक्त न्याय निर्णयों के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र संख्या 6160 दिनांक 23.09.2024 द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया है :–

(*i*) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्र संख्या 5626 दिनांक 29.08.2009 को विलोपित किया गया है।

(*ii*) गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 277 दिनांक 03.02.2009 एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 4450 दिनांक 19.07.2008 के द्वारा परिचारित राज्य सरकार के पूर्व के निर्णय को दिनांक 19.07.2008 के भूतलक्षी प्रभाव से वापस प्रभावी किया गया है।

3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्र ज्ञापांक 5626, दिनांक 29.08.2009 द्वारा वरीयता निर्धारण सम्बन्धी कार्मिक विभागीय पत्रांक 4450 दिनांक 19.07.2008 को निरस्त किया गया था। विभागीय पत्रांक 4450 दिनांक 19.07.2008 द्वारा निर्णय संसूचित किया गया था कि अंतिम संवर्ग विभाजन के पश्चात् पारस्परिक स्थानान्तरण के आधार पर झारखण्ड आने वाले कर्मियों को मूल वरीयता का लाभ नहीं मिलेगा तथा वे अपने कोटि में अपने बैच के अथवा सम्व्यवहार में नियुक्त कर्मियों की तुलना में सबसे कनीय माने जायेंगे।

4. गृह (विशेष) विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 277 दिनांक 03.02.2009 द्वारा पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में संसूचित किया गया है कि राज्य पुनर्गठन उच्च स्तरीय समिति की बैठक में वरीयता निर्धारण के बिन्दु पर की गई अनुशंसा के आलोक में पारस्परिक स्थानान्तरण के आधार पर किये गये राज्य स्थानान्तरण में वरीयता का दावा मान्य नहीं होगा अर्थात उक्त आधार पर स्थानान्तरित कर्मी उस राज्य में अपने कोटि संवर्ग में नियुक्त/पदोन्नति के वर्ष में कनीयतम हो जायेंगे। इसी प्रकार गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 10458 दिनांक 17.12.2009 द्वारा संसूचित किया गया है कि एकल आधार पर

स्थानान्तरित कर्मी उस राज्य में अपने कोटि सम्वर्ग में नियुक्ति/पदोन्नति के वर्ष से कनीयतम हो जाएँगे, अर्थात वरीयता का दावा अनुमान्य नहीं होगा।

5. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्र संख्या 6617 दिनांक 07.10.2024 द्वारा उक्त न्यायादेश तथा विभागीय पत्रांक 6160 दिनांक 23.09.2024 के आलोक में एकल स्थानान्तरण एवं पारस्परिक स्थानान्तरण द्वारा झारखण्ड राज्य में योगदान करने वाले झारखण्ड सचिवालय सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों की कार्मिक विभागीय पत्रांक 3606 दिनांक 01.07.2011 द्वारा निर्धारित वरीयता सूची में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए निम्नरूपेण वरीयता का निर्धारण किया गया है :–

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम एवं कोटि	वरीयता क्रमांक (विभागीय पत्रांक–3606 दिनांक–01.07.2011 के अनुसार)	जन्म तिथि / नियुक्ति वर्ष / नियुक्ति श्रोत (विभागीय पत्रांक–3606 दिनांक–01.07.2011 के अनुसार)	संशोधित वरीयता क्रमांक	स्थानान्तरण का आधार
1	2	3	4	5	6
1.	श्री हलधर भारती, कोटि–अ0जा0, सम्प्रति–सेवानिवृत्त।	3	16.08.1952 03.03.1986 –	10 'क'	पारस्परिक
2.	श्री सियाशरण पासवान, कोटि–अ0जा0, सम्प्रति–सेवानिवृत्त।	21	08.05.1957 17.07.1986 –	48 'क'	पारस्परिक
3.	श्री जयशंकर, झा, कोटि–अनारक्षित, सम्प्रति–सेवानिवृत्त।	77	09.03.1952 16.12.1975 447/73	190 'क'	पारस्परिक
4.	श्री ओम प्रकाश वर्मा कोटि–अनारक्षित, सम्प्रति–सेवानिवृत्त।	143	01.08.1952 27.05.1977 809/73	190 'ख'	पारस्परिक
5.	श्री वैद्यनाथ कौशिक, कोटि–अनारक्षित, सम्प्रति–सेवानिवृत्त।	181	11.10.1947 22.10.1975 अन्य श्रोत	190 'ग'	पारस्परिक
6.	श्री रमारंजन चौधरी, कोटि–अनारक्षित, सम्प्रति–सेवानिवृत्त।	263	15.12.1949 13.04.1982 215/79	297 'क'	पारस्परिक
7.	श्री राजेश्वर सिन्हा, कोटि–अनारक्षित, सम्प्रति–सेवानिवृत्त।	266	08.04.1954 11.02.1982 222/79	297 'ख'	पारस्परिक
8.	श्री दिवाकर प्रसाद सिंह, कोटि–अनारक्षित, सम्प्रति–सेवानिवृत्त।	325	01.02.1958 28.12.1984 230/82	394 'क'	पारस्परिक
9.	श्री शशि भूषण तिवारी, कोटि–अनारक्षित, सम्प्रति–सेवानिवृत्त।	431	01.02.1959 27.03.1987 233/83	473 'क'	पारस्परिक

10.	श्री गुप्तेश्वर प्रसाद, कोटि–अ0जा0, सम्प्रति–सेवानिवृत्त।	469	12.01.1957 16.08.1986 394/83	**473 'ख'**	पारस्परिक
11.	श्रीमती प्रीति सुधा कुजूर, कोटि–अ0ज0जा0, सम्प्रति–सेवानिवृत्त।	504	16.08.1950 28.07.1989 178/88	**540 'क'**	पारस्परिक
12.	श्री मंगल कुमार मुर्मू, कोटि–अ0ज0जा0, सम्प्रति–सेवानिवृत्त।	517	04.07.1958 08.08.1989 285/88	**540 'ख'**	पारस्परिक
13.	श्री जार्ज लकड़ा, कोटि–अ0ज0जा0, सम्प्रति–सेवानिवृत्त।	523	10.01.1959 04.08.1989 314/88	**540 'ग'**	पारस्परिक
14.	श्रीमती ज्योति शिखा पौल, कोटि–अ0ज0जा0, सम्प्रति–सेवानिवृत्त।	528	02.04.1958 27.08.1989 330/88	**540 'घ'**	पारस्परिक
15.	श्री पुष्पलता तिर्की, कोटि–अ0ज0जा0, सम्प्रति–सेवानिवृत्त।	531	05.01.1956 01.08.1989 335/88	**540 'ङ'**	एकल
16.	श्री एस0के0 अहसान अली, कोटि–अनारक्षित, सम्प्रति–सेवानिवृत्त।	569	05.02.1958 27.10.1990 189/85	**598 'क'**	पारस्परिक
17.	श्री दिनेश लाल दास, कोटि–अ0जा0, सम्प्रति–सेवानिवृत्त।	664 'क'	10.09.1956 13.12.1995 47/85	**670 'क'**	पारस्परिक
18.	श्री मधुकान्त त्रिपाठी, कोटि–अनारक्षित सम्प्रति–सेवानिवृत्त।	693	05.01.1962 14.12.1995 63/93	**949 'क'**	पारस्परिक
19.	श्री अजय कुमार सिंह, कोटि–अनारक्षित, उप सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग	703	02.07.1972 14.12.1995 76/93	**949 'ख'**	पारस्परिक
20.	श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय, कोटि–अनारक्षित, अवर सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	717	12.01.1971 13.12.1995 100/93	**949 'ग'**	पारस्परिक
21.	श्री सुनील कुमार कोटि–अनारक्षित, अवर सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	735	01.08.1966 13.12.1995 132/93	**949 'घ'**	पारस्परिक
22.	श्री सुनीत कुमार, कोटि–अनारक्षित, अवर सचिव, पथ निर्माण विभाग	747	28.08.1972 15.12.1995 148/93	**949 'ङ'**	पारस्परिक

23.	श्री सुनील कुमार झा कोटि–अनारक्षित, अवर सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	754	01.07.1965 15.12.1995 160/93	949 'च'	पारस्परिक
24.	श्री विश्वनाथ झा, कोटि–अनारक्षित, अवर सचिव, राज्यपाल सचिवालय	757	15.01.1966 19.12.1995 163/93	949 'छ'	पारस्परिक
25.	श्री मिथिलेश कुमार सिंह, कोटि–अनारक्षित, सम्प्रति–सेवा से बर्खास्त	760	17.09.1966 13.12.1995 168/93	949 'ज'	पारस्परिक
26.	श्री शिव किशोर मिश्र, कोटि–अनारक्षित अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	761	01.11.1966 13.12.1995 169/93	949 'झ'	पारस्परिक
27.	श्री संजय कुमार, कोटि–अनारक्षित अवर सचिव, भवन निर्माण विभाग	767	04.06.1968 15.12.1995 177/93	949 'ञ'	पारस्परिक
28.	श्रीमती मंजू कुमारी, कोटि–अनारक्षित, अवर सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	860	05.01.1969 24.01.1996 340/93	949 'ट'	पारस्परिक
29.	श्री जनार्दन पासवान, कोटि–अ0जा0, अवर सचिव, जल संसाधन विभाग	887	18.01.1965 13.12.1995 383/93	949 'ठ'	पारस्परिक
30.	श्री विष्णुकान्त किस्कू, कोटि–अ0ज0जा0 सम्प्रति–सेवानिवृत्त।	922 'क'	05.09.1963 21.12.1995 448/93	949 'ड'	पारस्परिक

6. विभागीय पत्रांक 6617 दिनांक 07.10.2024 द्वारा कंडिका–5 में अंकित औपबंधिक वरीयता सूची के सन्दर्भ में झारखण्ड सचिवालय सेवा के सभी कार्यरत एवं सेवानिवृत पदाधिकारियों से पत्र निर्गत की तिथि के 30 (तीस) दिनों के अंदर आपत्ति/त्रुटियाँ आमंत्रित की गई।

7. उक्त वरीयता निर्धारण के विरूद्ध झारखण्ड सचिवालय सेवा के कुल 05 (पाँच) पदाधिकारियों द्वारा अपना–अपना आपत्ति/आवेदन समर्पित किया गया, जिनमें 04 वैसे पदाधिकारी शामिल हैं, जिनकी वरीयता को विभागीय पत्रांक 6617 दिनांक 07.10.2024 द्वारा संशोधित किया गया था। इन पाँचों आपत्तियों पर सक्षम प्राधिकार द्वारा विचार करते हुए अस्वीकृत किया गया है।

8. सम्यक् जाँचोपरान्त एवं सुसंगत नियमों के अन्तर्गत आपत्ति/त्रुटियों का निराकरण करते हुए कंडिका–5 की तालिका के स्तम्भ–3 में अंकित मूल वरीयता क्रमांक को विलोपित करते हुए स्तम्भ–5 में अंकित वरीयता क्रमांक को अंतिम रूप से निर्धारित करते हुए प्रकाशित की जाती है।

9. कार्मिक विभागीय पत्रांक 3606 दिनांक 01.07.2011 द्वारा निर्धारित वरीयता सूची को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

10. उक्त अंतिम रूप से प्रकाशित वरीयता सूची कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के वेबसाइट **www.dopjharkhand.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

11. प्रस्ताव पर सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

Hanand 28/11/24

(रवि आनन्द)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 4/वरीयता–1501/2024 का० 128 /राँची, दिनांक 28/11/24

प्रतिलिपि – सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

Hanand 28/11/24

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 4/वरीयता–1501/2024 का० 128 /राँची, दिनांक 28/11/24

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी PMU कोषांग, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय वेबसाईट **(www.dopjharkhand.gov.in)** पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Hanand 28/11/24

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 4/वरीयता–1501/2024 का० 128 /राँची, दिनांक 28/11/24

प्रतिलिपि – अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Hanand 28/11/24

सरकार के संयुक्त सचिव।